दिनांक 27 फरवरी, 1980

क्रमांक **69-ज(II)-79/7748**.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती ज्ञान देवी भाटिया, विधवा श्री बलदेव भाटिया, मकान नं० 419, हुकमा रोड कालोनी, करनाल, को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **39-ज(I)-80/7752**.--श्री हजारी सिंह, पुत्र श्री रतन सिंह, गांव जेरपुर, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 23 नवम्बर, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री हजारी सिंह की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2302-ज(I)-72/32545, दिनांक 30 अगस्त, 1972, द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती गन्दी देवी के नाम खरीफ, 1978 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक की दर से तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789-(जI)-79/44840, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 के अन्तर्गत रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 29 फरवरी, 1980

क्रमांक **127-ज(I)-80/8089**.--श्री अमीर चन्द, पुत्र श्री निहाल चन्द, गांव बड़ागांव, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, की दिनांक 14 मार्च, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री अमीर चन्द की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3879-जे-एन-(III)-66/6049, दिनांक 7 अप्रैल, 1966 तथा 5041-आर-(III)-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती प्रमेश्वरी देवी के नाम खरीफ, 1977 से 150 रुपये वार्षिक की दर से तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1789-जे(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 के अन्तर्गत रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **158-ज(I)-80/8093**.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती निम्बो देवी, विधवा श्री हरजी राम, गांव आमलवास मूरहटा, तहसील व जिला भिवानी, को रबी, 1972 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **2021-ज(II)-79/8197**.--हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 1448-ज(I)-79/33818, दिनांक 25 सितम्बर, 1979, जो हरियाणा राजपत्र दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, में मुद्रित हुई है के क्रमांक 2 पर अंकित जागीरदार श्री नेत राम के पिता का नाम गोरालिया की बजाये गोरानिया पढ़ा जाये।

दिनांक 3 मार्च, 1980

क्रमांक **1-ज(II)-79/8274**.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती गुरनाम कौर, विधवा श्री बीर सिंह, गांव किला सिक्खां वाला, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।